मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल
(ए–161 / रासूआ / 1–6 / जबलपुर / 06)

श्री प्रशान्त श्रीवास्तव, अपीलार्थी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव,
(छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय लोक सूचना अधिकारी,
जबलपुर

आदेश
(दिनांक 10 जुलाई 2006)

श्री प्रशान्त श्रीवास्तव, अपीलकर्ता ने यह अपील सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। इनका कहना है कि उन्होंने दिनांक 01.12.2005 को अपील के साथ लगाये संलग्नक I, II, III के द्वारा तीन आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी को कतिपय जानकारी मांगने के लिये दिये गये थे । निर्धारित 30 दिन की अवधि में जानकारी न प्राप्त होने पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की थी लेकिन, अपीलीय अधिकारी ने न तो जानकारी प्रदान करने के आदेश दिये और न ही कोई आदेश पारित किया । अतः उन्होंने यह अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है।

2. अपीलकर्ता के अनुसार उन्होंने लोक सूचना अधिकारी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को तीन अलग–अलग आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2005 को प्रस्तुत किया था जो अपील आवेदन के संलग्नक I, II, III है । यह आवेदन अलग अलग विषयों पर हैं । लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रत्येक आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अलग से अपील, अपीलीय अधिकारी एवं राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए थी । अतः इस प्रकरण में उनका केवल एक आवेदन पत्र जो लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसपर ही निर्णय दिया जा सकता है। शेष आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अधिनियम में जो अपील के सम्बन्ध में जो निर्धारित प्रक्रिया है

उसके अनुसार अपीलकर्ता को अपील प्रस्तुत करना चाहिये । इस अपील में अपील ज्ञापन के साथ संलग्नक एक पर ही विचार किया जा रहा है।

3. अपीलकर्ता ने पहले सलग्नक के अनुसार जो जानकारी मांगी है वह डा0 एन0के0खरे, प्रोफसेर, डिपार्टमेन्ट ऑफ एक्सटेन्शन एजूकेशन की गोपनीय चरित्रावली से सम्बन्धित है।

4. इस प्रकरण में अपीलकर्ता एवं अपीलीय अधिकारी को दिनांक 6 जुलाई 2006 को सुना गया । लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित थे । अपीलकर्ता ने डॉ0 खरे की गोपनीय चरित्रावली की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां मांगी है । स्पष्टतः यह प्रकरण डॉ0 एन0के0खरे, की व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है जिसका सम्बन्ध किसी लोकहित या लोक कार्यकलाप से नहीं है। अपीलकर्ता ने अपने अपील ज्ञापन में यह कहीं पर नहीं दर्शाया है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत सूचना देने में कोई व्यापक लोकहित सन्निहित है । अतः लोक प्राधिकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के अनुसार इस प्रकार की सूचना देने के लिये बाध्य नहीं है ।

5. अतः यह अपील निरस्त की जाती है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त

10 जुलाई 2006